रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ ज्येष्ठ 3, 1940
No. 340] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/ JYAISTHA 3, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई 2018

सा.का.नि. 482(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :–

1. (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 (इन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, नामतः :–

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल–पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में, –

(क) स्तंभ 2 में "04 * (2015)" की संख्या और कोष्ठक के स्थान पर "05* (2018)" की संख्या और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ख) स्तंभ (4) में तत्संबंधी शीर्षक और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, नामतः :–

" वेतन मैट्रिक्स में लेवल
(4)
लेवल – 6(रु. 35400–112400 / –) " ;

(ग) स्तंभ (11) , उप शीर्षक '' प्रोन्नति'' के अंतर्गत, –

(1) ''वेतनबैंड –1, 5200–20200 रु. जमा ग्रेड वेतन 2800'' शब्दों, अंकों और वर्णों के स्थान पर'' लेवल–5 (रू. 29200–92300/–) ''शब्दो, अंकों और वर्णों को रखा जाएगा।

(2) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1–12014/49/2017–एनसीबी–II]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 24 नवम्बर, 2015 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 903 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 728] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2015/अग्रहायण 5, 1937
No. 728] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2015/AGRAHAYANA 5, 1937

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 903(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक कि यह स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो), स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) (समूह 'ख' अराजपत्रित पद), भर्ती नियम, 2015 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** : उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;

   या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा **संघ लोक सेवा आयोग** से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	04*(2015) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–2 9300–34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	अचयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी–1 जिन्होंने वेतन बैंड–1, 5200–20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में उसी श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण–1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी की ली है, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण–2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गई सेवा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – **अध्यक्ष** (2) उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो –**सदस्य** (3) अवर सचिव, गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) – **सदस्य**	लागू नहीं होता।

[फा. सं.1–12020/85/2011–स्वा नि ब्यूरो]

प्रदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव